Result Mitra Daily Magazine

NRI, OCI एवं POI

➢ हालिया संदर्भ :

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज में स्नातक सीटों में यानि अनिवासी भारतीयों के लिए 15% कोटा का प्रस्ताव था।
- CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ एवं न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब सरकार के इस कदम को "पैसा कमाने की मशीन" कहते हुए धोखाधड़ी करार दिया।

➢ क्या थी अधिसूचना :

- NRI–आरक्षित रिक्त सीटों को NEET पास करने के बाद उनके रिश्तेदारों द्वारा भरने का प्रावधान था।
- कहा गया था इसके लिए NRI या उनके बच्चे, जो भारत के किसी भी राज्य/UTs से संबंध रखते हैं, पात्र हैं।
- अधिसूचना में 'निकटतम रिश्तेदार' के रूप में निम्न को शामिल किया गया था –

1. पिता के सगे भाई और सगी बहन,
2. मां के सगे भाई और बहन,
3. दादा और दादी

4. नाना और नानी
5. First मामा–मामी और चचेरे भाई

- अधिसूचना में प्रावधान किया गया था कि NRI कोटे की सीटें NRI के रिश्तेदारों को दे दी जाएगी अगर यह सीटें काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद खाली रह जाती है।
- अगर ऐसा करने पर भी सीटें खाली रह जाएगी तो इसे सामान्य श्रेणी में डाल दिया जाएगा।

➢ पंजाब राजनीति में NRI :

- पंजाब में NRI की संख्या काफी ज्यादा है जो वर्तमान में AAP के ज्यादा नजदीक है।
- 2022 में हुए विधानसभा चुनाव ने 91 सीटें जीती, जिसमें NRI का समर्थन विशेष महत्वपूर्ण था।
- पंजाब में 4 सरकारी एवं 7 निजी मेडिकल कॉलेज तथा 1 AIIMS है, साथ ही राज्य में 15 डेंटल कॉलेज भी है।
- AIIMS की सीटें जहां मेडिकल काउंसिल कमेटी द्वारा भरी जाती है, वहीं 1800 मेडिकल एवं 1260 डेंटल सीटें मेरिट लिस्ट से भरी जाती है।
- इनमें 196 मेडिकल एवं 196 डेंटल NRI कोटे के तहत आरक्षित है।

- NRI कोटे के लिए मेडिकल सीट एवं डेंटल सीट के लिए फीस क्रमशः 91.96 लाख एवं 36.78 लाख रुपए है, जबकि गैर आरक्षित सीटों के लिए यह शुल्क 5 से 10 लाख रुपए है।
- सामान्यतः NRI आरक्षित सीट खाली रह जाती है एवं वे सीटें सामान्य श्रेणी में चली जाती है।

➢ SC में मामला :

- सामान्य श्रेणी के मेडिकल छात्र के एक समूह, जो NRI आरक्षित सीट खाली रह जाने पर प्रवेश की उम्मीद कर रहे थे, ने पहले पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय में और बाद में SC में फैसले को उठाया।
- HC में छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया लेकिन पंजाब सरकार ने इसके विरुद्ध SC में अपील की।
- SC ने अपने फैसले में कहा कि पंजाब सरकार योग्यता के बजाय वित्तीय शक्ति के आधार पर मेडिकल में प्रवेश के लिए प्रावधान तय कर रही है।

➢ NRI (अनिवासी भारतीय):

- NRI उन्हें माना जाता है, जो :–

1. एक वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दोनों या उससे ज्यादा दिनों तक भारत में नहीं रहा हो,
2. पिछले चार वर्षों के दौरान भारत में 365 दिनों से कम रहा हो,
3. एक वर्ष में 60 दिनों से कम समय के लिए भारत में न रहा हो,

➢ OCI (Overseas Citizens of India) :

- OCI यानि प्रवासी विदेशी नागरिक वे होते हैं, जो :

1. 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखते थे।
2. 26 जनवरी1950 को या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रहा हो।

Result Mitra

3. आजादी के दिन (15 अगस्त 1997) के बाद भारत में शामिल किए गए किसी हिस्से/क्षेत्र से संबंधित था।

- उपरोक्त श्रेणियां में शामिल व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे भी OCI कार्ड की पात्रता रखते हैं।

Note: पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक या उनके संतान OCI कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं।

- वर्ष 2005 में सरकार ने OCI श्रेणी की शुरुआत की थी, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत इसे PIO यानि Person of Indian Origin में विलय कर दिया गया।

➢ PIO (भारतीय मूल के व्यक्ति) :

- इस श्रेणी में वे शामिल होते हैं :

1. जिनके पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो,
2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत परिभाषित या उसके बाद भारतीय क्षेत्र में जिन्होंने या जिनके माता-पिता/दादा/दादी/परदादा/परदादी ने जन्म लिया हो और निवास किया हो,
3. भारत के नागरिक या PIO की पति/पत्नी रहा/रही हो,

Note : PIO की श्रेणी से पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन एवं ईरान के नागरिकों को बाहर रखा गया है।

Note : 2015 में PIO को समाप्त कर OCI में विलय कर दिया गया।

Note : OCI कार्ड धारकों को ना तो भारत में मताधिकार प्राप्त होता है और नहीं वे भारत में किसी संवैधानिक पद या सरकारी नौकरी के लिए पात्रता रखते हैं। साथ ही वे भारत में कृषि योग्य भूमि भी नहीं खरीद सकते हैं।

Result Mitra

TM
Result Mitra